



**कार्यालय प्रधानाचार्या, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,
गौरा डांडा, सीतापुर रोड, हरदोई-241001**


पत्रांक-रा0मे0का0ह0 / 2022-23 / 456

दिनांक:-07.09.2022

सूचना

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानको की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय, में रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार **प्रत्येक शुक्रवार को पदों के रिक्त रहने तक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, हरदोई में प्रातः 11:00 बजे** आयोजित किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हो। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** पर उपलब्ध है।

Sr. No.	Name of Specialisation	Professor		Associate Professor		Assistant Professor	
		No. Of Posts	Category	No. Of Posts	Category	No. Of Posts	Category
1	Orthopedics	-	-	01	SC	-	-
2	Obstetrics & Gynaecology	01	SC	01	UR	-	-
3	Emergency Medicine	-	-	01	OBC	01	UR
4	Anaesthesiology	-	-	02	01-SC 01-UR	02	01-OBC 01-UR
5	General Medicine	01	OBC	-	-	02	01-UR 01-SC
6	General Surgery	-	-	02	01-OBC 01-EWS	01	SC
7	Respiratory Medicine	-	-	01	SC	-	-
8	Dermatology	-	-	01	UR	-	-
9	Pediatrics	-	-	01	OBC	-	-
10	Microbiology	-	-	01	UR	-	-
11	Pharmacology	-	-	01	SC	-	-
12	Forensic Medicine	-	-	-	-	01	SC
13	Biochemistry	-	-	-	-	01	UR
14	Radiodiagnosis	-	-	01	OBC	01	SC
15	Psychiatry	-	-	01	EWS	-	-
16	Pathology	-	-	01	UR	01	UR
Total		02		15		10	



Gautam State Medical
College, HarDOI

नोट-एन0एम0सी0 मानको एवं एल0ओ0पी0 को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अम्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अम्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं-

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रूपया 1,35,000/ सह आचार्यों का नियत वेतन रूपया 1,20,000/ तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन रूपया 90,000/ माह है, इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India Minimum Qualification for Teacher's in medical Institution's Regulation 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश सं0-2282/71-1-2013-जी0-11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं0- 562/71-1-2020-जी0-63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomus State Medical College Uttar Pradesh, Prinicpal and Teacher's (Recruitment & other Condition of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षको को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाएं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाग अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोष जनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोष जनक सेवा के पश्चात् चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकता अनुसार इनकी संतोष जनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये कोई बोनस देय नहीं होंगे।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर

- अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
17. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
 18. उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय जाप सं0-1/2019/4/1/ 2002/ का-2/19 टी0सी0-2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रुपये 8.00 लाख कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
 19. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
 20. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



प्रधानाचार्य

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,
हरदोई
तददिनांक

पत्रांक-रा0मे0का0ह0 / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज उ0प्र0।
4. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी,
हरदोई